# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. सांवताराम पुत्र श्योदानराम
2. श्रवणराम पुत्र श्योदानराम
3. मेतीराम पुत्र श्योदानराम
4. रामूराम पुत्र अर्जुनराम
5. जगाराम पुत्र अुर्जराम
6. हीराराम पुत्र अुर्जनराम
7. गोविन्दराम पुत्र अर्जुनराम
8. पांचूराम पुत्र अर्जुनराम
9. तेजाराम पुत्र भागूराम
10. केशराराम पुत्र भागूराम
    जाति गुर्जर निवासी गिंगोली

1. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार , परबतसर
2. मांगीलाल पुत्र गणेश ब्राहम्ण
   निवासी गिंगोली तह. परबतसर

दावा बाबत :– इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित :– श्री प्रहलाराम मिर्धा अधिवक्ता वादीगण
श्री राजेश कुमार मीणा राजपैरोकार

मुकदमां नम्बर :– 78/2009 निर्णय दिनांक :–

## निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलादराम मिर्धा ने यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम गिंगोली की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 97 रकबा 11–03 बीघा भूमि वादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। उस भूमि की खातेदारी में गलती से मांगीलाल पुत्र गणेशराम का नाम आ गया था लेकिन कभी खेती मांगीलाल ने नहीं की है न ही कभी लगान चुकाया हैं। वाद में दी गई वंशावली के अनुसार इस जमीन पर सेटलमेन्ट से पहले वादीगण के दादा श्री गोरूराम खेती करते थे वे ही काबिज थे तथा सेटलमेन्ट के समय भी कब्जा वादीगण के दादा जी का था उन्होने लगान चुकाया था तथा उनके नाम ही गिरदावरी दर्ज होती आयी हैं गोरूराम के स्वर्गवास के बाद वादीगण के पिता ने खेती की तथा लगान चुकाया था तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ने लगान स्वीकार किया हैं वर्तमान में कब्जा वादीगण का हैं जो वादीगण को अपने दादा पिता से मिला है। वादीगण की भूमि के चारो तरफ मिट्टी की डोल लगा कर बाड़ कर रखी हैं। कभी भी किसी ने वादीगण के अधिकारो को अस्वीकार नहीं किया हैं चेलेन्ज अथवा इंकार नही किया है। वादीगण का मुख्य धन्धा कृषि व पशु पालन हैं तथा चौमासे

20/2/2020
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)



Scanned by CamScanner

में काश्त करते हैं ग्राम गिंगोली जागीरदार की जागीर का गांव था इसलिये जागीरदार लगातर एक व्यक्ति को काश्त हेतु नहीं देते थे लेकिन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने के समय कब्जा काश्त वादीगण था वादीगण के पिता अनपढ़ काश्तकार हैं तथा काश्त में दखल नहीं होने से इसका रेकर्ड का भी ध्यान नहीं दिया तथा वादीगण शांतिपूर्वक काश्त रहे हैं इसलिये वादीगण By operation of law इसके खातेदार हो चुके है। वादीगण को हरजीराम पीलानिया जाट निवासी गिंगोली ने बताया हैं कि वादीगण की उक्त जमीन को सरकार ने सरकारी दर्ज कर दी हैं तथा सरकार वादीगण को बेदखल करेगी जिस पर वादीगण ने दिनांक 02.03.2009 को चालू खतौनी की नकल ली तो मांगीलाल पुत्र गणेशराम जाति ब्राहम्ण का नाम पाया फिर उसी राजे पटवारी हल्का से चालू खतौनी की नकल प्रापत की तो नामान्तकरण संख्या 316 न्यायालय आदेश दिनांक 24.02.2009 को उपरोक्त भूमि की खतौनी में मांगीलाल का नाम हटाकर राजस्थान सरकार का नाम दर्ज किया हैं वादीगण ने गिरदावरी सम्वत 2010 से 2033 की नकले निकलवायी है जो दिनांक 09.03.2009 को मिली तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के कार्यालय से सरकार मांगीलाल के निर्णय की नकलो की दरख्वास्त पेश की जो दिनांक 12.03.2009 को मिली जिससे पता चला कि उपरोक्त कार्यावाही बाला बाला की गई हैं वादीगण के दादा का नाम कई वर्षो में दर्ज हैं प्रतिवादी 1 द्वारा बिना सारे रिकार्ड की जांच किये कागजी कार्यवाही की हैं तथा वादीगण को मौके पर आकर कभी बेदखल नही किया है। वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम गिंगोली के ख्सरा नम्बर 97 रकबा 11–03 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी दिनांक 25.10.2011 को जबाब पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम गिंगोली के खसरा नम्बर 97 रकबा 11–03 बीघा भूमि राजकीय खातेदारी की भूमि हैं उक्त भूमि मांगीलाल पुत्र गणेशराम के नाम रही हैं श्री मांगीलाल के द्वारा लगान आदि जमा नहीं कराने एवं लाऔलाद बिना किसी वारिस के फौत हो जाने के कारण भूमि राजकीय खाते में दर्ज कर दी गई वादीगण का इस भूमि में कभी नाम दर्ज नहीं रहा है। उक्त भूमि मांगीलाल के नाम दर्ज थी लगान अदा नहीं करने व बिना किसी वारिस के फौत हो जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 60–61 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई किसी को भी किसी प्रकार की उज्र एतराज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस अखबार में भी प्रकाशित कराया गया कोई उज्र एतराज प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 07.11.2008 को निर्णय किया जाकर भूमि सिवायचक घोषित की गई हैं आज तक भी किसी व्यक्ति द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की हैं वादीगण इस भूमि पर कानूनी अधिकारी नहीं है जिससे वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। तत्पश्चात वादीगण ने

20/2/2014
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)



Scanned by CamScanner

आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर मांगीलाल पुत्र गणेशराम जाति ब्राहम्ण सा. गिंगोली को पक्षकारा मुकदमां बनाये जाने का निवेदन किया गया हैं वादीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर प्रतिवादी 2 बनाया गया तत्पश्चात प्रतिवादी 2 के सम्मन बार बार भिजवाये जाने पर इस नाम का व्यक्ति ग्राम गिंगोली में नहीं होने की रिपोर्ट आने पर वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादी 2 का सम्मन स्थानिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी 2 का सम्मन दिनांक 30.06.2012 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवार उसकी प्रति पेश की है। एक माह से अधिक समय तक इन्तजार करने पर हितबध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई उपस्थित होकर उज्र पेश नहीं करने व स्वंय प्रतिवादी मांगीलाल अनुपस्थित रहने पर दिनांक 06.08.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात वाद में तनकीयात कायम की गई। वादीगण की साक्ष्य में वादी तेजाराम, हीरालाल तथा गवाह श्रवणराम के बयान लिये गये ओर साक्ष्य पेश नहीं करने व साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करना चाहे जाने पर साक्ष्य बन्द की गई। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श– 1 जमाबन्दी सम्वत 2061–64 पेश की हैं, जमाबन्दी सम्वत 2061–64 प्रदर्श– 2 पेश की हैं सम्वत 2010 से 2024 की गिरदावरी पेश की हैं।

3. वादीगण के वाद पर वादीगण के अधिवक्ता एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादीगण के वाद का तनकीवार निर्णय इस प्रकार से है कि :–

**तनकी संख्या – 1**

आया वादीगण ग्राम गिंगोली के खसरा नम्बर 97 रकबा 11–03 बीघा भूमि पर वादीगण का पूर्वजो से पुश्तैनी कबजा काश्त में दर्ज चली आ रही हैं जिससे उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

इस तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर था। जिसकी तायद में वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि उक्त भूमि पर सेटलमेन्ट के समय से ही वादीगण दादा पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं सेटलमेन्ट में गलती से मांगीलाल पुत्र गणेशराम का नाम दर्ज आ गया हैं, जबकि मांगीलाल नाम का कोई व्यक्ति ग्राम गिंगोली में कभी रहा ही नहीं हैं न ही किसी ने देखा हैं केवल मात्र सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा गलत नाम दर्ज हो गया हैं। वादीगण व वादीगण के पूर्वज अनपढ़ व्यक्ति होने ओर वादीगण के पूर्वज व वादीगण को कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं होने से कभी रेकर्ड की जानकारी नहीं हो सकी है। ग्राम के व्यक्ति हरजीराम द्वारा बताये जाने पर रेकर्ड की जानकारी करने पर जानकारी में आया की उक्त भूमि की खातेदारी

2/12/2020
उपखण्ड अधि. डीडवाना
परबतसर (नागौर)



Scanned by CamScanner

शुरू से ही मांगीलाल पुत्र गणेशराम ब्राहम्ण तथा उसके बाद इसको तहसीलदार परबतसर द्वारा बाले बाले बिना वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये ही भूमि की खातेदारी सरकारी दर्ज कर दी है। जबकि वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त वादीगण का होने से उक्त भूमि के वादीगण By operation of law खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। जिसके समर्थन मे वादीगण ने गिरदावरी नकल सम्वत सम्वत 2010 से 2024 पेश की हैं जिसका विवरण इस प्रकार है।

सम्वत 2010 से 2013

| खसरा नम्बर | रकबा | नाम भूमि धारी (कॉलम संख्या -5) | नाम उप-कृषक (कॉलम सं 6 ) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 16) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 24) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 32) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 11-03 बीघा | जागीरदार गैर मकबूजा | रिक्त | रिक्त | बसरा सदर | बसरा सदर | गुलाबसिंह जागीरदार |

सम्वत 2014 से 2017

| खसरा नम्बर | रकबा | नाम भूमि धारी (कॉलम संख्या -5) | नाम उप-कृषक (कॉलम सं 6 ) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 16) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 24) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 32) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 11-03 बीघा | मंगीलाल ब.न. 64 पसायतेदार | शिकमी पुसा पुत्र रूपा कौम भांबी 1/2 गौरू पुत्र धन्ना कौम गुर्जर 1/2 | मांगीलाल बदस्तूर | रिक्त | रिक्त | पुसा पुत्र रूपा गौरू पुत्र धन्ना गैर हाजिर शिकमी |

सम्वत 2018 से 2021

| खसरा नम्बर | रकबा | नाम भूमि धारी (कॉलम संख्या -5) | नाम उप-कृषक (कॉलम सं. 6 ) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 16) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 24) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 32) | विशेष विवरण (कॉलम संख्या 40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 11-03 बीघा | मंगीलाल ब.न. 64 पसायतेदार | शिकमी पुसा पुत्र रूपा कौम भांबी 1/2 गौरू पुत्र धन्ना कौम गुर्जर 1/2 | धन्ना पुत्र बालू गूजर , नारायण पुत्र श्योदान गूजर | श्योदान पुत्र गौरू गुजर | सरकार | पुसा पुत्र रूपा कौम मेघवंशी गौरू पुत्र धन्ना शिकमी |

सम्वत 2027 से 2030

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 11-03 बीघा | राज.सरकार | मंगीलाल पुत्र गणेशराम ब्राहम्ण दायमा जोशी पुसा पुत्र देवा भांबी सा. रूणीजा 1/2 धीसू पुत्र धारू गूजर 1/2 | पड़त | रिक्त | रिक्त | रिक्त |

सम्वत 2031 से 2030

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 11-03 बीघा | राज.सरकार | मंगीलाल पुत्र गणेशराम ब्राहम्ण दायमा जोशी पुसा पुत्र देवा भांबी सा. रूणीजा 1/2 धीसू पुत्र धारू गूजर 1/2 | पड़त | रिक्त | मोठ | बाजरा |

सम्वत 2031से 2034

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 11-03 बीघा | राज.सरकार | मंगीलाल पुत्र गणेशराम ब्राहम्ण दायमा जोशी पुसा पुत्र देवा भांबी सा. रूणीजा 1/2 धीसू पुत्र धारू गूजर 1/2 | रूपा सुनार | रूपाराम पुत्र हजारी सुनार | रूपा सुनार | रिक्त |

वादीगण द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी के अनुसार सम्वत 2010 से 2013 जागीरदार गुलाबसिंह के कब्जे काश्त में रही हैं तथा सम्वत 2014 से 2017 में मांगीलाल की तथा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)



Scanned by CamScanner

केवल 2017 में पुसा पुत्र रूपा कौम मेघवंशी गौरू पुत्र धन्ना शिकमी के नाम काश्त दर्ज हुई है। सम्वत 2021 से 2024 में उक्त भूमि पड़त रही हैं जिसमें किसी की काश्त दर्ज रिकार्ड नहीं हैं, सम्वत 2026 से 2030 में भी उक्त भूमि पड़त रही हैं तथा सम्वत 2031 से 2033 उक्त भूमि किसी रूपाराम सुनार की काश्त में रही है। वादीगण के पूर्वज का 1/2 हिस्से में 1/2 हिस्सा कॉलम संख्या 6 में दर्ज रहा हैं लेकिन लगातार काश्त कभी सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण के पूर्वजो की नहीं रही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तोवज पेश नही किया हैं जिससे विवादित आराजीयत पर वादीगण का कब्जा काश्त साबित होता हो। वादीगण ने केवल गवाह पेश किया हैं जिसने वादीगण का कब्जा काश्त होना बताया हैं। खसरा गिरदावरी नकल से भी सम्पूर्ण भूमि पर सम्वत 2010 से लगातार वादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त दर्ज होना सिद्ध नहीं होता है। जिससे वादीगण तनकी संख्या 1 साबित करने में असफल रहे हैं जिससे तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

**तनकी संख्या – 2**

आया वादीगण उक्त भूमि में गलती से मांगीलाल का नाम दर्ज चला आ रहा हैं जिसके स्थान पर तहसीलदार जी ने दिनांक 07.11.2008 को गलत निर्णय पारित कर राज्य सरकार के खाते में भूमि दर्ज कर दी हैं उक्त निर्णय अपास्त कर वादीगण के नाम खातेदारी फरमावे।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण था। वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि उक्त आराजीयत में मांगीलाल पुत्र गणेशराम का नाम दर्ज चला आ रहा हैं इसकी जानकारी वादीगण व वादीगण के पूर्वजो की नहीं थी क्योंकि वादीगण एवं वादीगण के पूर्वज अनपढ़ व्यक्ति हैं तथा कृषि एवं मवेशियों पर आधारित जीवन यापित करने वाले लोग हैं इस विवादित आराजीयत पर वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से ही वादीगण के पूर्वज काबिज काश्त चले आ रहे हैं किसी भी व्यक्ति या अन्य किसी ने कभी कोई दखलन्दाजी नहीं की जिससे यह जानकारी में नहीं आया। लेकिन ग्राम गिंगोली के ही एक व्यक्ति द्वारा बताया गया की हमारे कब्जे काश्त की भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया तथा सरकार द्वारा हमे बेदखल किया जायेगा तो रिकार्ड की नकले एवं दिनांक 07.11.2008 के तहसीलदार जी के आदेश की नकल प्राप्त की तो जानकारी में आया है। तहसीलदार जी द्वारा भूमि सरकारी करने से पूर्व हमे सुना ही नहीं गया न ही इसकी हमे कोई जानकारी न ही तहसीलदार जी के कब्जे के सम्बन्ध में कोई जानकारी की बाले बाले इस भूमि को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया जो वादीगण के हितो के प्रति शून्य है, जिसको अपास्त किया जाकर इस भूमि की खातेदारी वादीगण दर्ज करवाने के अधिकारी है। राजपैरोकार द्वारा जबाब के समर्थन में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 के



Scanned by CamScanner

अनुसार ग्राम गिंगोली के खसरा नम्बर 97, 119, 180 कुल रकबा 27–18 बीघा भूमि मांगीलाल पुत्र गणेशराम कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी न्यायालय आदेश के जरिये नामान्तकरण संख्या 316 दिनांक 24.02.2009 के द्वारा खसरा नम्बर 97 व 180 कुल रकबा 23–03 हैक्टयर भूमि की खातेदारी मांगीलाल पुत्र गणेशराम के स्थान पर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज की गई है। तहसीलदार परबतसर द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय के वार्षिक निरीक्षण दिनांक 08.11.2007 के पैरा संख्या 30 के आक्षेप अनुसार इस न्यायालय के राजस्व वाद 95/2002 भंवरूराम बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2007 को विधि विरूद्ध मानते हुऐ निर्णय दिनांक 09.10.2007 के विरूद्ध अपील करने की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा करने पर प्रथम बार यह मामला सामने आया रिकार्ड की जांच करने पर मांगीलाल पुत्र गणेश ब्राहम्ण सा. गिंगोली की खातेदारी में ग्राम गिंगोली में तीन खसरा नम्बर 97, 119, 180 कुल रकबा 27–18 बीघा भूमि दर्ज होने पर उपखण्ड न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2007 के विरूद्ध रेफरेन्स तैयार किया जाकर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया तथा खसरा नम्बर 97, 180 कुल रकबा 23–03 बीघा भूमि बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 60, 61 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की गई। न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 60 व 61 की परिधि में प्रतीत होने से प्रकरण दर्ज कर राजस्थान टिनेन्सी राजस्व मण्डल नियम 23 में विहित रीति से उद्घोषणा जारी कर नियम 24 में विहित प्रावधान अनुरूप उद्घोषणा की एक एक प्रति तहसील कार्यालय परबतसर, ग्राम पंचायत गिंगोली, पटवारी घर एव सम्बन्धित ग्राम गिंगोली के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करवायी गयी एवं दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के संस्करण पर चस्पा दिनांक 26.09.2008 में भी प्रकाशन करवाया गया। जिसके बाद पटवारी हल्का के बयान लिये गये जिसमें पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि ग्राम गिंगोली में मांगीलाल पुत्र गणेशराम ब्राहम्ण नाम का कोई व्यक्ति गत 50 वर्षो से नहीं हैं करीब 50 वर्ष पूर्व इस मांगीलाल ब्राहम्ण जो शादीसुदा नहीं था का देहान्त हो चुका हैं एवं इसकी एक बहिन फूलादेवी जो इसके साथ रहती थी उसकी शादी के तत्काल बाद उसके पति का देहान्त होगया था उसके भी कोई आस औलाद नही थी इस प्रकार स्वर्गीय मांगीलाल के कोई वारिस अथवा उतराधिकारी नही हैं। इस प्रकार उद्घोषणा की तामील प्रकाशन की निर्धारित समयावधि तक उक्त भूमि बाबत किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर निर्णय पारित करते हुऐ ग्राम गिंगोली के खसरा नम्बर 97, 180 कुल रकबा 23–03 बीघा भूमि राजगामी घोषित कर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज की गई है। उक्त भूमि बाबत न्यायालय तहसीलदार परबतसर द्वारा विधि अनुसार सम्पूर्ण प्रकिया करने के बाद किसी

20/2/2020
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (न. गौर)



Scanned by CamScanner

भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं करने पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। जिसको अपास्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

जहां तक उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित करने का प्रश्न हैं, जिसके सम्बन्ध में वादीगण ने जो दस्तावेज पेश किया हैं वो सम्वत 2010 से 2033 की गिरदावरी नकल हैं जिसमें सम्वत 2010 से 2013 तक वादीगण द्वारा वाद पत्र में दी गई वंशावली के अनुसार वादीगण के पूर्वज गोरू पुत्र धन्ना गुर्जर का नाम दर्ज नहीं होकर गुलाबसिंह जागीरदार का नाम अंकित हैं, जिसके बाद सम्वत 2014 से 2017 में कॉलम संख्या 5 में मांगीलाल खसरा नम्बर 64 पसायतेदार एवं कॉलम संख्या 6 में शिकमी पुसा पुत्र रूपा कौम भाम्बी 1/2, गोरू पुत्र धन्ना कौम गुर्जर 1/2 दर्ज हैं लेकिन सम्वत 2014 में मांगीलाल बदस्तुर काश्त दर्ज हैं सम्वत 2015 – 16 में भूमि पड़त हैं तथा सम्वत 2017 में पुसार पुत्र रूपा भाम्बी व गौरू पुत्र धन्ना गुर्जर दर्ज रिकार्ड हैं, इसके बाद सम्वत 2018 से 2021 में भी कॉलम संख्या 5 में मांगीलाल खसरा नम्बर 64 पसायतेदार एवं कॉलम संख्या 6 में शिकमी पुसा पुत्र रूपा कौम भाम्बी 1/2, गोरू पुत्र धन्ना कौम गुर्जर 1/2 दर्ज हैं। सम्वत 2018 में धन्ना पुत्र बालू व नारायण पुत्र श्योदान गुर्जर दर्ज हैं तथा सम्वत 2019 में श्योदान पुत्र गोरू गुजर की जाकश दर्ज हैं सम्वत 2020 में पड़त राजस्थान सरकार एवं सम्वत 2021 कोई काश्त दर्ज नहीं हैं। सम्वत 2021 से 2024 में गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 में राजस्थान सरकार एवं कॉलम संख्या 6 में मांगीलाल पुत्र गणेशराम ब्राहम्ण दायमा जोशी व पूसा पुत्र देवा भाम्बी 1/2 घीसू पुत्र धारू गुर्जर 1/2 दर्ज हैं तथा सम्वत 2021 से 2023 तक भूमि पड़त हैं किसी भी व्यक्ति की कोई काश्त दर्ज नहीं हैं इसी प्रकार सम्वत 2026 से 2028 तक भूमि पड़त दर्ज हैं तथा सम्वत 2031 से 2034 में रूपारोम पुत्र हजारी सुनार की काश्त दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पूर्वज गौरू पुत्र धन्ना का कभी भी सम्पूर्ण भूमि पर लगातार काश्त दर्ज नहीं रही है, ना ही सम्वत 2010 से 2013 तक वादीगण के पूर्वज की काश्त दर्ज है। जिससे उक्त भूमि में वादीगण By operation of law खातेदारी भी खातेदारी पाने के अधिकारी नहीं है। जिससे तनकी संख्या 2 वादीगण साबित करने में असफल रहे है। तनकी संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

**तनकी संख्या – 3**

आया प्रतिवादी मांगीलाल पुत्र गणेशराम ब्राहम्ण के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही थी जो 50 वर्ष पहले फौत हो चुका हैं उसके कोई औलाद नहीं होने से भूमि राजगामी घोषित कर राज्य सरकार के पक्ष में कब्जा लिया गया हैं वादगीण इस भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं जिससे वाद खारिज योग्य है।

20/2/2020
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)



Scanned by CamScanner

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी 1 पर था। जिसके समर्थन में प्रतिवादी ने जबाब के साथ जमाबन्दी सम्वत 2061–64 एवं न्यायालय तहसीलदार परबतसर के प्रकरण संख्या 1/2008 की प्रति पेश की है। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1 व 2 में किया जा चुका हैं तथा खातेदार मांगीलाल पुत्र गणेशराम लाऔलाद फौत 50 वर्ष पूर्व हो जाने से उसके कोई वारिसान शेष नहीं रहने से विधिवत प्रकिया के तहत राजस्थान सरकार के नाम घोषित की गई है। जिसका विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1, 2 में किया जा चुंका है। जिसके अनुसार तनकी संख्या 3 प्रतिवादी 1 के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रस्तुत गिरदावरी से सम्वत 2010 से 2034 में सम्पूर्ण विवादित आराजीयत पर वादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त सिद्ध नहीं होता है न ही वादीगण ने गिरदावरी के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश की जिससे वादीगण का सम्पूर्ण भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट के समय से कब्जा काश्त सिद्ध होता हो। तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं तथा तनकी संख्या 3 प्रतिवादी 1 द्वारा साबित की गई हैं जिससे वादीगण का वाद इस्तकराहक व स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः वादीगण वाद बाबत इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा साबित करने में असफल रहने पर वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 20/2/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/2/2020

(मुकेश कुमार गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर



Scanned by CamScanner